6928/17

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705114

29 APR 2016

बयनामा

बयनामा	74,00,000/–रू0
स्टाम्प	5,18,000/–रू0

हम कि जसवीर सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी हरथला शहर व जिला मुरादाबाद खुद व

Jasveer Singh

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705115

12 9 APR 201

2

बहैसियत मुख्तारेआम चौधरी धर्मवीर सिंह एडवोकेट पुत्र स्व0 श्री राजाराम व श्रीमति विद्यावती पत्नी श्री धर्मवीर सिंह निवासी हरथला शहर व जिला मुरादाबाद मुख्तारनामा पंजीकृत दिनांक 13.2.2012 वही संख्या 4

लीना चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 706116

29 APR 2014

जिल्द 243 पृष्ठ 319/334 कम संख्या 64 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय मुरादाबाद व श्रीमति विनीता चौधरी पत्नी श्री जसवीर सिंह निवासीगण हरथला शहर व जिला मुरादाबाद विक्रेता (प्रथम पक्ष) एवम् शैल

Jaswant Singh विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705117

29 APR 2014

इन्फ्राटेक लिमिटेड एम0आई0जी0 ए–138 रामगंगा विहार फेस प्रथम मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर आकाश अग्रवाल पुत्र श्री महेश चन्द्र अग्रवाल निवासी बी–17

बिनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705118

29 APR 2014

मधुर ग्रीन विलाज रामगंगा विहार फेस द्वितीय मुरादाबाद क्रेता (द्वितीय पक्ष) के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी बकदर 1/3 भाग खाता संख्या 81 खसरा संख्या 158 मि0 रकबई

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705119

29 APR 2011

0.705 हैक्टे0 व खसरा संख्या 330 रकबई 0.158 हैक्टे0 व खसरा संख्या 331 रकबई 0.101 हैक्टे0 कुल तीन किते कुल रकबई 0.964 हैक्टे0 लगानी सालाना 19.60 रूपये स्थित ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705120

29 APR 2014

जिला मुरादाबाद जिस पर प्रथम पक्ष (विक्रेता) बजरिये बयनामा इकरारी अजय गुप्ता पंजीकृत दिनांक 23.1.2010 वही संख्या 1 जिल्द 6358 पृष्ठ 265/298 कम संख्या 514 कार्यालय उपनिबन्धक द्वितीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705121

29 APR 2014

मुरादाबाद बहैसियत भूमिधर मालिकाना मालिक काबिज व दखील है। प्रथम पक्ष को इस आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705122

29 APR 2014

कानूनी अड़चन नही है। विक्रय की जाने वाली आराजी इस वक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी व गैर सरकारी व कुर्की व किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी व पाक व साफ है।

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705127

29 APR 2014

10

गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। न ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705124

29 APR 2014

कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने वाली आराजी की बावत विक्रेता (प्रथम पक्ष) ने किसी अन्य व्यक्ति को इकरारनामा या बयनामा नही किया है तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705125

29 APR 2014

अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम (विक्रेता) प्रथम पक्ष ने खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705126

29 APR 2014

पूर्णतया अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिग 74,00,000/—रू0 (चौहत्तर लाख रूपये) आधे जिसके 37,00,000/—रू0 (सैंतीस लाख रूपये) होते हैं

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705127

29 APR 2016

द्वितीय पक्ष (क्रेता) (शैल इन्फाटेक लिमिटेड

एम0आई0जी0 ए–138 रामगंगा विहार फेस प्रथम

मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर आकाश अग्रवाल पुत्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705128

29 APR 2014

15

श्री महेश चन्द्र अग्रवाल निवासी बी–17 मधुर ग्रीन विलाज रामगंगा विहार फेस द्वितीय मुरादाबाद) को वय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705127

29 APR 2016

उसका हस्ब तफसील जैल द्वितीय पक्ष क्रेता से वसूल पाकर तमामी शय मुबईया मजकूर वाला का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है। आज के बाद से आराजी मजकूर की बावत प्रथम पक्ष (विक्रेता)

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705130

29 APR 2014

व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705131

कोषागार 1400

29 APR 2014

कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705132

29 APR 2014

कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) को कोई सर्फा मजीद खर्चा अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 705133

29 APR 2016

20

वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। वनीज आज तक की तमामी

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 787251

कानूनी देनदारियाँ व जिम्मेदारियाँ प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होंगी। अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले।

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 797282

29 APR 2014

प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये हैं।

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AU 787255

नोट-- विक्रेतागण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य नही है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नही है। आराजी पूर्णत:

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 160667

23 APR 2014

24

खेती की भूमि है। मौके पर तथा आस–पास खेती हो रही है। आराजी में कोई पेड़, कूप, भवन व बोरिंग आदि नही है। विक्रेतागण ने उपरोक्त विक्रीत खसरा

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 160665

2 5 APR 2014

25

नम्बरान में अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है तथा अब विक्रेतागण का उपरोक्त विक्रीत खसरा नम्बरान में कोई भाग शेष नही रहा है। मुख्तारनामा

विनीता चौधरी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 160666

25 APR 2014

निरस्त नहीं किया गया है तथा मुख्तारनामाकर्ता जीवित हैं।

तफसील वसूली जरे समन–मुबलिग 74,00,000/–रू0 इस प्रकार कि 18,50,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या 089396 दिनांक 20.9.2014 स्टेट बैंक आफ पटियाला मुरादाबाद व 18,50,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या 089381 दिनांक 20.9.2014 स्टेट बैंक आफ पटियाला मुरादाबाद व 18,50,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या 089382 दिनांक 20.9.2014 स्टेट बैंक आफ पटियाला मुरादाबाद व 18,50,000/–रूपये बजरिये चैक संख्या 089383 दिनांक 20.9.2014 स्टेट बैंक आफ पटियाला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है ।

विक्रेता — द्वि क्रेता

विनीता चौधरी

सा0 — सा0

(GOPAL MEHROTRA)
S/o Late S.K. MEHROTRA
27 AVAS VIKAS
CIVIL LINES
MBD

Kamal Singh Arora
S/o Lt. Sh. Veer Singh Arora
D-1/80 Ashiyana II
Moradabad

बयनामा हाजा आज दिनांक 24–05–2014 ई0 को बमुकाम मुरादाबाद बइकरार पक्षकारान बमशवरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सौरभ नन्दन ने टाईप किया है।

सुभाष चन्द्र माथुर
35, आवास विकास सिविल लाइंस
मुरादाबाद : मो0 नं0

नक्शा नजरी आराजी काश्तकारी खसरा 0.964 हे०

का 1/3 भाग बाबत गा० न० 158मि०/0.705हे०, 330/0.125

331/0.131हे० वाकय ग्राम हरथला तह० मुरादाबाद

इकरारी: चौधरी धर्मवीर सिंह आदि

मौहरमा: सैल इन्फ्राटेक लिमिटेड

NH-24 NH-1

नोट 200.0 मी० की त्रिज्या में

खेती हो रही है

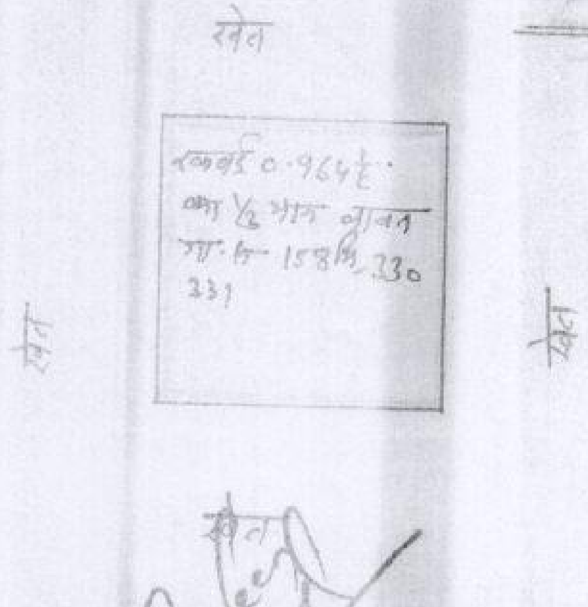

Shanker Rastogi
(B. M. C., D.E. Civil)
Retd. Sectt. Moradabad

विनीता चौधरी

न्यायालय [illegible]
वाद सं० - 1235/13-14
ता० फैसला - 10/7/14

बही नं० I जिल्द 9154 के पृष्ठ 1/56 से
क्रमांक 6928 पर आज दिनांक 27/6/2014
को रजिस्ट्री की गई।

उप निबन्धक द्वितीय
[illegible]